एक नजर

पत्रकार विकास धूलिया के निधन पर राज्यपाल ने जताया दुख

शाह टाइम्स संवाद्दाता

नैनीताल। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने वरिष्ठ पत्रकार विकास धूलिया के आकस्मिक निधन पर दु:ख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

ग्रामीणों को दी उन्नत कृषि की जानकारी

पंतनगर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तीसरे दिन पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने खटीमा ब्लॉक के सल्मता, बल्खेड़ा और सुनखरी गांवों में किसानों को उन्नत फसल किस्मों, नवीन कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक गोविन्द सिंह राणा ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में डा. अजय प्रभाकर ने कम लागत में अधिक उत्पादन, डा. अर्पिता शर्मा ने महिलाओं की कृषि में भागीदारी और उद्यमिता और डा. स्वाति सिन्हा ने पंतनगर द्वारा विकसित फसल किस्मों पर जानकारी साझा की। कृषि, मत्स्य और पशुपालन विभागों के अधिकारियों ने सरकारी सहायता योजनाओं पर प्रकाश डाला।

महिलाओं ने निकाली कलशयात्रा

बागेश्वर। शिखर पर्वत में स्थित श्री 1008 मूल नारायण मंदिर सोमवार से भागवत कथा शुरू हुए। सोमवार को आयोजकों ने स्थानीय महिलाओं के ढोल नगाड़ों के बीच सनगाड, बास्ती के ग्रामीणों के साथ मिलकर भव्य कलश यात्रा निकाली।

कलश यात्रा में कुरौली, बाफिला गांव, सनगाड, बास्ती की महिलाएं शामिल हुई। भावगत कथा में वेद व्यास रमेश चंद्र पांडे का भव्य स्वागत किया गया। पहले दिन कथा में वेद व्यास द्वारा आदर्श पुरूषोतम भगवन श्रीराम के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने श्रीराम के जीवनी से सीखने को कहा। कथा में यजमान की भूमिका जवाहर सिंह भौर्याल, कविंद्र सिंह बाफिला, महेश सिंह भौर्याल ने निभाई। इस मौके पर पूर्व मंत्री बलवंत सिंह भौर्याल, उत्तमा नन्द महराज, केदार सिंह, चंद्र सिंह चौहान, नंदन सिंह बाफिला, मदन सिंह आदि मौजूद रहे।

धार्मिक पर्यटन से जुड़ेगा अलखनाथ मंदिर

कपकोट। कपकोट विधानसभा क्षेत्र के किलपारा में इन दिनों अलखनाथ मंदिर का निर्माण चल रहा है। 50 लाख की लागत से बनने वाले इस मंदिर को धार्मिक पर्यटन से जोड़ा जाएगा। कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि मंदिरों का निर्माण तथा संरक्षण किया जा रहा है। मंदिरों के निर्माण के साथ-साथ क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा, धरोहरों को सजोने का काम भी सरकार कर रही है। विधानसभा में पर्यटन की दृष्टि से धर्माटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

शिक्षा विभाग का अधिवेशन सम्पन्न

बागेश्वर। राज्य कर्मचारी संगठन जिला इकाई शिक्षा विभाग का अधिवेशन संपन्न हो गया है। सर्वसम्मति से गोकुल भाकुनी को अध्यक्ष व गौरी शंकर पुरी को महामंत्री बनाया गया है। सभी ने संगठन की मजबूती पर बल दिया। साथ ही कहा कि किसी भी कर्मचारी का अहित नहीं होने दिया जाएगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी सभागार में पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष ईश्वर दत्त पांडे की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन सहित कई लंबित समस्याएं आज भी बनी हुई है। आने वाले दिनों में समस्याओं को लेकर कर्मचारी आगे की रणनीति तय करेंगे। संगठन के लिए रमेश जोशी संरक्षक, कुंदन खाती वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री लक्ष्मण सिंह, कोषाध्यक्ष राहुल कुमार, महिला उपाध्यक्ष हेमा उपाध्याय चुने गए। नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद व गोपनीयिता की शपथ दिलाई गई। सभी ने कहा कि संगठन के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं का समधान कराया जाएगा।

एक वारंटी गिरफ्तार

काशीपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के आदेशानुसार वारंटियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक काशीपुर व क्षेत्राधिकारी काशीपुर के निर्देशन में कोतवाली के पुलिस उपनिरीक्षक सौरभ भारती और कांस्टेबल धीरज द्वारा विभिन्न न्यायालयों से जारी गैर जमानतीय आदेशिकाओं के अनुपालन में वारंटी जगवीर सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी प्रतापपुर काशीपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

बाबा फुलसंदे वालों का सत्संग आज से

काशीपुर। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा धर्मार्थ सेवा समिति के तत्वाधान में एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा मंत्र के ऋषि सत्पुरुष बाबा फुलसंदे वालों का तीन दिवसीय सत्संग मंगलवार, 3 जून से प्रारंभ होगा।

समिति के सदस्य विजेंद्र पाल सिंह एडवोकेट ने बताया कि मंगलवार, 3 जून को सत्पुरुष बाबा फुलसंदे वाले प्रात: 10 बजे काशीपुर स्थित रामलीला मैदान पहुंचेंगे। यहां 11 बजे प्रेस वार्ता के बाद दोपहर 1 बजे से भजन वाणी तथा 2 बजे से सत्पुरुष बाबा फुलसंदे वाले अमृतमयी प्रवचनों की वर्षा करेंगे। तत्पश्चात नामदान, आरती का आयोजन किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा धर्मार्थ सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदीप कुमार मिश्रा, मनोज चौधरी, विजेंद्र पाल सिंह, राजीव राठी, ऋषिपाल सिंह चौधरी, राजेंद्र सिंह व हरीराज शर्मा मौजूद रहेंगे।

बर्बाद हो गया उत्तराखंड का पहला स्वीमिंग पूल

खेल विभाग की अनदेखी ने छीनी ऐतिहासिक तरणताल की रौनक

शाह टाइम्स ब्यूरो

हल्द्वानी। उत्तराखंड का पहला तरणताल (स्वीमिंग पूल) न सिर्फ खस्ताहाल हो चुका है बल्कि सिस्टम की अनदेखी की वजह से विगत पांच वर्षों से बंद पड़ा है और अब इसकी कोई उम्मीद भी नहीं कि यह दोबारा सुचारू हो पाएगा क्योंकि गौलापार स्टेडियम में स्वीमिंग पूल बन ही चुका है। तो सवाल यह उठता है कि क्या उत्तराखण्ड का पहला स्वीमिंग पूल अब इतिहास बन चुका है। जी हां बरेली रोड में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज बाईपास पर यह स्वीमिंग पूल अब जर्जर हालत में पहुंच चुका है और खेल विभाग ने इससे पूरी तरह से नज़रें फेर ली हैं। सूचना अधिकार के जवाब में खेल विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे अब इस तरणताल की जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस तरणताल का संचालन करना विभाग को महंगा पड़ रहा था। यह तो मुनाफा ही दे रहा था। इस तरणताल से विभाग को हर 6 माह में 5 लाख 80 हजार से अधिक की आय होती थी। सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश चन्द्र जोशी को दिए जवाब में खेल विभाग ने खुद स्वीकार किया है बरेली रोड स्थित तरणताल कोरानाकाल में पूर्ण रूप से बंद रहा, जिससे उसकी हालत जर्जर हो गयी। शासन को उसकी मरम्मत के लिए पत्र भेजा गया था। फिल्टर प्लांट का जीर्णाद्धार न होने की वजह से वर्तमान में तरणताल को बंद करना पड़ा। प्रकाश चन्द्र जोशी खेल विभाग की लापरवाही से खफा हैं। कहते हैं कि इस तरणताल ने शहर व राज्य को कई नेशनल खिलाड़ी दिए। समय के साथ सिस्टम ने तरणताल की अनदेखी करना शुरू कर दिया। सालों से खराब फिल्टर को आज तक नहीं बदला गया। इससे बेहतर तो यह होता कि विभाग इसे निजी हाथों में सौंप देता।

श्री जोशी कहते हैं कि अगर खेल विभाग आंखें मूंदे हुए नहीं होता तो आज बरेली रोड स्थित बायपास में बना तरणताल बदहाल नहीं होता। करोड़ों की लागत से बना यह तरणताल आज सूनसान है और पुन:निर्माण तथा देखरेख की बाट जोह रहा है। कभी यहां 6 शिफ्टों में तैराकी होती थी। कई शौकिया लोग तैराकी के लिए आते थे लेकिन आज कोई झांकता तक नहीं है। जोशी कहते हैं कि इस तरणताल का कायाकल्प होना बेहद ज़रूरी है। कई खिलाड़ी फिर से अपना भविष्य संवारेंगे और नाम भी रौशन करेंगे। प्रकाश चन्द्र जोशी ने सरकार और खेल विभाग के अधिकारियों से विनती की है कि इस तरणताल की सुध ली जाए।

कोरोनाकाल में बंद हुआ था अब तक सुध नहीं ली गयी

तरणताल
कार्यालय सहायक निदेशक खेल
कुमायूं मण्डल हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशासन मुस्तैद: एसडीएम

शाह टाइम्स संवाद्दाता

कालाढूंगी। कालाढूंगी के उपजिलाधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि लगातार हो रही बरसात के चलते बीते दिनों कालाढूंगी के नदी नालो में पानी आने से कालाढूंगी प्रशासन बिल्कुल मुस्तादी बनाए हुए हैं जिसके चलते उप जिलाधिकारी कालाढूंगी परितोष वर्मा ने बताया की नदी नालो के किनारे अवैध रूप से बसे लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जिससे कि मानसून आते ही किसी भी हताहत होने से बच सकें। उप जिलाधिकारी कालाढूंगी परितोष वर्मा ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र कालाढूंगी में नालों की सफाई को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही कालाढूंगी तहसील अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में संवेदनशील इलाकों में रह रहे लोगों को अवगत करा दिया गया है। बताया कि आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशाशन की पूरी तैयारी हो चुकी है।

10 प्रत्याशियों का नामांकन

शाह टाइम्स संवाद्दाता

नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ प्रशासनिक भवन का चुनाव 4 जून बुधवार को प्रशासनिक भवन में संपन्न होगा। चुनाव को लेकर सोमवार को नामांकन हेतु दस नामांकन पत्रों की बिक्री हुई जिसमें अध्यक्ष पद पर नवल किशोर तथा डा. मोहित सनवाल जबकि उपाध्यक्ष पद पर ओम प्रकाश सगटा तथा तारा सिंह रैखोला जबकि महिला उपाध्यक्ष पद पर शैलजा वर्मा तथा सचिव पद पर नवीन उप्रेती तथा जगदीश चंद्र जबकि उपसचिव पद पर तारा सिंह रैखोला तथा रंजीत कीर्ति तथा कोषाध्यक्ष पद पर संजीत कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किए गए। समय सीमा के पश्चात नामांकन पत्रों की जांच की गई तथा सभी नामांकन वैध पाए गए। चुनावी प्रक्रिया के तहत मंगलवार आज नामांकन पत्र वापसी होगी तथा 4 जून बुधवार को मतदान किया जाएगा।

चार और नए रिक्शा लॉन्च

शाह टाइम्स संवाद्दाता

बागेश्वर। नगर के लोगों को बेहतर यातायात सुविधा देने के लिए नगर पालिका ने चार और नए रिक्शा लांच किए हैं। सोमवार को नगर पालिकाध्यक्ष सुरेश खेतवाल व ईओ मुहम्मद यामीन, सभासद नवीन रावल, प्रेम हरडिया, नवीन आर्या ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। दो और रिक्शों को जल्द हरी झंडी मिलेगी। बता दें कि नगर पालिका ने नगर में ई-रिक्शे चलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। कई दिनों के ट्रायल के बाद एआरटीओ व प्रशासन से अनुमति मिली। तब पालिका 12 रिक्शे लेकर आई, लेकिन पहली किस्त में छह रिक्शा चलाए, लेकिन चार रिक्शे अनुमति नहीं मिलने से नहीं चल पाए। एक साल तक नगर पालिका बोर्ड भंग रही। अब नए बोर्ड गठन के बाद रिक्शों को चलाने की कवायद शुरू हुई। अब चार रिक्शों को हरी झंडी मिली। इन्हें कठायतबाड़ा, बिलौना, मंडलसेरा व बाजार क्षेत्र में चलने की अनुमति दी गई है। पालिकाध्यक्ष खेतवाल ने कहा कि दो अन्य रिक्शे भी लोगों को सुविधा देंगे। इस मौके पर ईओ मो. यामीन, सभासदों में नवीन रावल, प्रेम हरड़िया, कैलाश आर्या आदि मौजूद रहे।

खुलें में न करें कुर्बानी: एसपी

शाह टाइम्स संवाद्दाता

काशीपुर। कोतवाली परिसर में पुलिस अधीक्षक अभय सिंह की मौजूदगी में आज बकरा ईद के संबंध में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसपी ने धर्मगुरूओं के साथ क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों को शासनादेश की जानकारी देते हुए प्रतिबंधित पशु के अलावा अन्य पशुओं की खुले में कुर्बानी न देने की हिदायत दी।

उन्होंने कहा कि कुर्बानी खुले में न करें और अवशेष गड्ढों में दफन करें। कोई भी व्यक्ति प्रतिबंध पशुओं की कुर्बानी न करें और कुर्बानी करते समय रील न बनाएं, न ही सोशल मीडिया पर वायरल करें, यह अपराध है। बैठक में ईदगाह सदर हसीन खान व शहर ईमाम मुनाजिर हुसैन ने भी उक्त बातों का ख्याल रखते हुए कुर्बानी करने की बात कही। बैठक में शफीक अहमद अंसारी, पार्षद नौशाद हुसैन, अब्दुल कादिर, सरफराज, मोनिश आशी, राशिद फारूकी, सादिक हुसैन, आरिफ सैफी, इल्यास माहीगीर, डा. एमए राहुल, कारी महमूद आलम, कारी इस्लामुद्दीन, खालिद हुसैन, जाकिर हुसैन, आफताब अली, दिलशाद हुसैन, अय्यूब, अब्दुल सलीम, गुड्डू मलिक, मोहम्मद अली, गुल्लू माहीगीर, मोहम्मद नईम, तसलीम अहमद, मोहम्मद नफीस, मोहम्मद हनीफ आदि मौजूद रहे।

कोतवाली में हुई शांति समिति की बैठक

सट्टा किंग समेत आधा दर्जन गिरफ्तार

पुलिस ने 25 हजार की नगदी बरामद की, मुखबिर की सूचना पर दबोचा

काशीपुर। कोतवाली पुलिस ने सट्टे की खाईबाड़ी करते हिस्ट्रीशीटर सहित 06 लोगों को गिरफ्तार कर सट्टे के 25,090 रुपये बरामद किये हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम. सिंहनगर मणिकांत मिश्रा द्वारा जनपद स्तर पर अवैध कृत्यों के विरुद्ध चलाये गए अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक अभय सिंह व क्षेत्राधिकारी दीपक कुमार के निर्देशन मे कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर यादव सभा वाली गली में सट्टा किंग तस्लीम पुत्र स्व. मौ. यासीन निवासी मौहल्ला बांसफोड़ान काशीपुर, अबरार हुसैन पुत्र स्व. निसार अहमद निवासी मछली बाजार ठाकुरद्वारा, हैदर अली पुत्र स्व. हबीब निवासी मौहल्ला बांसफोड़ान काशीपुर, मौ. सूफियान पुत्र शाहिद हुसैन निवासी मौहल्ला बांसफोड़ान काशीपुर, यशपाल सिंह पुत्र स्व. उत्तम चंद निवासी मौहल्ला महेशपुरा काशीपुर, अनिल कुमार पुत्र स्व. अशोक कुमार निवासी कटोराताल काशीपुर आदि छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से एक सट्टा नोटबुक, सट्टे के नम्बर लिखा बोर्ड, दो कैलकुलेटर, लिखी हुई 52 सट्टा पर्ची, बिना लिखी प्रिंटेड नई सट्टा पर्ची की रंगीन डायरी तथा सट्टे की खाईबाड़ी के 25,090 रूपये पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार सभी के खिलाफ धारा 3/4/13 जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

जनता दरबार में जन शिकायतों का समाधान

बागेश्वर। कपकोट तहसील सभागार में सोमवार को आयोजित जनता दरबार में क्षेत्रीय विधायक सुरेश गढ़िया और जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में 23 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। विधायक गढ़िया ने अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए, वहीं जिलाधिकारी भटगांई ने जनता दरबार को शासन और जनता के बीच संवाद का सशक्त माध्यम बताया। ग्रामीणों ने पेयजल, आपदा से क्षतिग्रस्त पुलिया, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आर्थिक सहायता और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं उठाईं, जिन पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

सम्बन्ध-विच्छेद सूचना

मैंने अपने पुत्र **सुमित कुमार** व पुत्रवधु **सोनम** को उनके द्वारा किये जाने वाले गलत आचरण के चलते अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सम्बन्ध विच्छेद कर लिए हैं भविष्य में उनके किसी भी लेनदेन व कृत्य की मेरी व मेरे परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

मांगे राम पुत्र पल्टू,
निवासी- हरदेवपुर सहदेवपुर उर्फ रानी माजरा, पो0 शाहपुर शीतला खेडा, जिला हरिद्वार।

गंदगी फैलाने पर 29 लोगों का चालान

नैनीताल। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा के निर्देश पर कर एवं राजस्व अधीक्षक दिपेन्द्र बमोला के निर्देश पर पालिका के कर संग्रहकर्ता हिमांशु चंद्रा ने सोमवार को नगर के पंत पार्क, माल रोड तथा बारापत्थर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अवैध फड़ एवं गंदगी मिलने पर 29 लोगो के ऊपर चालानी कार्यवाही की गई। बता दें जिन लोगों पर चालानी कार्रवाई की गयी उनमें लाला राम, रहीम, अभिषेक, रोशन, विकास, मो काशिम, निरमोस, दुर्गेश, राज, योगेंद्र, पुष्पेंद्र, असमद, अजगर, मो शकील, मो अयूब, नसरीन, मो अब्दुल, रहीश, ललित, दीवान सिंह, शैलेन्द्र, जीत, सतीश, जाहूर, आकाश व प्रमोद के चालान किए गए। कुल 12350 रुपए के चालान किए गए।

शाह टाइम्स

स्वामी शाह पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक एस.एन. राना द्वारा शाह पब्लिकेशन प्रा. लि. सुजडू चुंगी, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर से मुद्रित एवं 63/9 ई-राजपुर रोड देहरादून से प्रकाशित।

सम्पादक:
एस.एन. राना
*कार्यकारी सम्पादक
आनन्द बत्रा 'सुमन'
स्थानीय सम्पादक
चेतन गुरूंग
देहरादून कार्यालय 63/9
ई-राजपुर रोड देहरादून
☎0135-2743363
R.N.I. No.UTT HIN 2001/05656
मोबाइल-9720007290
www.shahtimesnews.com
email:shahtimes2015@gmail.com

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु PRB एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद मुजफ्फरनगर न्यायालय के अधीन ही होंगे।

यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मुख्य कार्यालय "उज्जवल" महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून-248006, सिन नं: U40101UR2001SGC025866
दूरभाष सं0 0135-2763508, 2763808, फैक्स: 0135-2763507 वैबसाइट: www.ujvnl.com

सं0 382 **ई-निविदा सूचना** दिनांक 02.06.2025

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (सिविल), मनेरी भाली-।।, चिन्यालीसौड़ इच्छुक निविदादाताओं से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करता है। निविदा का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:

निविदा संख्या: 05/अधि.अभि(सिविल)/ एमबी-।। /चिन्यालीसौड़/2025-26

कार्य का नाम: मनेरी भाली द्वितीय चरण, उत्तरकाशी के गमरी-गाड़ में ड्रिलिंग एवं पीज़ो मीटर स्थापना का कार्य।

अनुमानित लागत: ₹ 34,09,348.00 (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)

वेबसाइट पर निविदा प्रपत्र की उपलब्धता की तिथि: 05.06.2025 सांय 5:00 बजे से

वेबसाइट पर निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि: 28.06.2025 सांय 05:00 बजे तक

अन्य जानकारी हेतु कृपया हमारी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://uktenders.gov.in" देखें।

अधिशासी अभियन्ता (सिविल), एम.बी.-।।, चिन्यालीसौड़

" बिजली के दुरूपयोग से बचें"

उत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य विद्युत अभियन्ता/निर्माण, उत्तर रेलवे, मुरादाबाद निम्नलिखित कार्य के लिए (एकल पैकेट प्रणाली) के अन्तर्गत खुली ई-निविदा आमंत्रित करते हैं:-

1	ई-निविदा एनआईटी संख्या	17-विद्युत/नि./ टी.आर.डी./एम.बी./ 139
2	कार्य का नाम व स्थान	मुरादाबाद मण्डल के रोजा-सीतापुर सिटी खण्ड में रोजा में क्रास ओवर शिफ्टिंग, लखनऊ-मुरादाबाद खण्ड में पीताम्बर पुर के कि.मी. 1288/17-19 पर गेट सं.-352 सी के बदले आरओबी, सीतापुर के कि.मी. 78/130.201 पर गेट सं.-51 स्पेशल के बदले आरओबी, रोजा-सीतापुर सिटी खण्ड में डाउन मैन लाईन के कि.मी. 14/305.923 पर ब्रिज सं. 13 एवं सेक्शनिंग पोस्ट सीतापुर सिटी के विद्युतिकरण हेतु 25 हजार वोल्ट सिंगल फेज ओ.एच.ई. की डिजाइन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग व कमीशनिंग का कार्य।
3	कार्य पूरा करने की अवधि	12 (बारह) माह
4	कार्य की अनुमानित लागत	रुपए 1,87,73,215.60
5	बयाना राशि जो जमा की जानी है (निविदा दस्तावेज के खण्ड 3.0 के अनुसार)	रुपए 2,43,900/-
6	ई-निविदा जमा करने एवं ई-निविदा खुलने की तिथि व समय	निविदा दिनांक 25.06.2025 समय 11:30 बजे तक आईआरईपीएस की वैबसाइट **www.ireps.gov.in** पर अपलोड कर सकते हैं। निविदाकर्ता ई-निविदा में भाग ले सकते हैं। निविदा दिनांक 25.06.2025 समय 11:30 बजे खोली जाएगी।
7	निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र की जानकारी	विस्तृत ई-निविदा एवं निविदा प्रपत्र आईआरईपीएस की वैबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। उपरोक्त निविदा प्रपत्र आईआरईपीएस की वैबसाइट **www.ireps.gov.in** पर दिनांक 10.06.2025 से दिनांक 25.06.2025 तक जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा। निविदाकर्ता जो ई-निविदा में भाग लेने को इच्छुक है उनको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त वैबसाइट पर अपना ई-पंजीकरण करा ले जिसके लिए उन्हे क्लास ।।। डिजीटल प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी (यदि पहले से उपलब्ध नही है), जो आई टी नियम-2000 के अन्तर्गत सीसीए द्वारा जारी की जाएगी। उपरोक्त निविदा के अन्य सभी नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में दिये गये है। केवल ई-निविदाएं ही स्वीकार की जाएंगी तथा किसी अन्य रुप में प्रस्तुत निविदाएं तुरन्त अस्वीकार कर दी जाएंगी।

प्रपत्र सं. 17-विद्युत/नि./टी.आर.डी./एम.बी/139 दिनांक 02.06.2025

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 1630/25

न्यायालय श्रीमान असि० कलेक्टर प्रथम श्रेणी श्रीनगर गढ़वाल।

बंटवारा वाद संख्या-02/2024-25 सन् 2025

वादी- चंदन सिंह पुत्र स्व० बीर सिंह ग्राम उफल्डा पट्टी इडवालस्यूँ तहसील श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल।

बनाम

धर्म सिंह सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व० बीर सिंह व अन्य।

प्रतिवादीगण (आवश्यक पक्षकार)--तामिल

प्रतिवादीगण- (औपचारिक पक्षकार) 3-मातबर सिंह भण्डारी पुत्र गुलाब सिंह, 12-पंचम सिंह पुत्र दयाल सिंह, 13-बीरा देवी पत्नी सचिदानन्द, 14- रमेश चन्द्र पुत्र सचिदानन्द, 15-गणेश मणी पुत्र सचिदानन्द, 16-सुरेश चन्द्र पुत्र सचिदानन्द, 17-दिनेश पुत्र हे मिणी, 18-सुरेश पुत्र हर्षमणी, 19-दिनेश डोभाल पुत्र ललिता प्रसाद, 20-राजीव डोभाल पुत्र ललिता प्रसाद, 21-दयाल सिंह पुत्र नंदा सिंह, 22-बृजेन्द्र सिंह पुत्र तारासिंह, 23-गिरीश चन्द्र पुत्र पिताम्बर दत्त, 24-नरेन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह, 25-वैलम सिंह पुत्र घोकल सिंह 26-विशन सिंह पुत्र गोविन्द्र सिंह 27-कुवर सिंह पुत्र शिव सिंह, 28-कुवर सिंह पुत्र दान सिंह, 29-रघुनाथ सिंह पुत्र उमराव सिंह, 30-वृजमोहन पुत्र मंशाराम, 31-यशवन्त सिंह पुत्र राधे सिंह, 32-हीरामणि पुत्र परमानन्द, 33-महावीर सिंह पुत्र उम्मेद सिंह, 34-संगीता तडियाल पत्नी रेवत सिंह, 35-गौरा देवी पत्नी बूथाराम, 36-सुरेन्द्र सिंह पुत्री मंगन सिंह, 37-उमा देवी पत्नी पृथ्वी सिंह, 38-मंजू उनियाल पत्नी पूरण सिंह, 39-दुर्गा देवी पत्नी महेन्द्र प्रताप सिंह, 40-सिद्धि देवी पत्नी मथुरा प्रसाद, 41-अंशी देवी पत्नी प्रेम सिंह, 43-सरिता देवी सजवाण पत्नी धमेन्द्र सिंह, 44-अनुपमा रमोला पत्नी हुकम चन्द्र, 45-रामेश्वरी देवी पत्नी मंगल सिंह, 46-विरेन्द्र सिंह पुत्र धीरज सिंह, 49-कलावती पत्नी हुकम सिंह, 50-हेमन्ती पत्नी कान्ता प्रसाद, 51-देवेश्वरी देवी पत्नी अर्जुन सिंह, 52-अरूण कुमार पुत्र प्रीतम लाल, खाता संख्या 00093 मध्ये 55 मुकन्द सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, 57-कादाम्बरी देवी पत्नी लक्ष्मण सिंह, 58-कुवर सिंह पुत्र श्याम सिंह, 61-संजय नयाल पुत्र प्रवीन नयाल, 62-नरेन्द्र सिंह पुत्र गोविन्द सिंह, 63-राकेश मोहन पुत्र कमलकान्त, 65-वीरेन्द्र प्रसाद पुत्र विशालमणी, 66-मनोज कुमार भण्डारी/आशा देवी, 67-कपिल देव भण्डारी/आशा देवी, 68-बृहमदेव भण्डारी/आशा देवी, 69-विरेन्द्र सिंह पुत्र धीरज सिंह, 72-सुनीता देवी कुशाल सिंह, 73-निखिल पुत्र कुशाल सिंह, 74-मनोरमा देवी पत्नी रविन्द्र सिंह, 75-रीना चौहान पत्नी कुलदीप सिंह, 76-भगत सिंह पुत्र दलीप सिंह, 77-रघुवीर सिंह पुत्र सते सिंह, 78-रजनी देवी पत्नी बलदेव सिंह, निवासीगण ग्राम उफल्डा पट्टी इडवालस्यूँ तहसील श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल, 79-उत्तराखण्ड सरकार द्वारा श्रीमान कलेक्टर जिला पौड़ी गढ़वाल, 80-श्रीमान नगर आयुक्त नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल। आप को सूचित किया जाता है कि वादी द्वारा मेरे न्यायालय में बंटवारा वाद अन्तर्गत धारा 176 उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड ज०वि० एवं भू० व्यवस्था अधिनियम 1950 अनुकूलन 2007 के तहत ग्राम उफल्डा पट्टी इडवालस्यूँ, परगना देवलगढ़, तहसील श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल के वर्तमान खाता खतोनी संख्या-00060, खाता संख्या-00093 खसरा नम्बरान 501, 1044, 489, 1054, 673, 1085, 1018, क्षेत्रफल 0.3060 है०, पर बंटवारा वाद के सम्बन्ध में आपके विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसमे आपके जवाब दावा हेतु दिनांक-21.06.2025 की तिथि नियत है, अतः इस विज्ञप्ति प्रकाशन के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक-21.06.2025 को स्वयं या बजरिये अधिवक्ता के उपस्थित होकर अपना जवाबदावा/आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी। समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति आज दिनांक 29.05.2025 को न्यायालय की आज्ञा व मुद्रा से जारी।

असिस्टेंट क्लेक्टर प्रथम श्रेणी,
श्रीनगर गढ़वाल।

एल्केमिस्ट एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
(सीआईएन नं, 74999DL2002PLC117052)
ए-270 (एफएफ एंड एसएफ), डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110 024, दूरभाष : 91-11-46562580 - 83
फैक्स: 91-11-46562584, Email: admin@alchemistarc.com, Web : alchemistarc.com

ई-नीलामी बिक्री सूचना

(कृपया नियम 8(6) और नियम 9 सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 और परिशिष्ट IV ए देखें)

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई नीलामी बिक्री सूचना (जिसे आगे के रूप में संदर्भित किया गया है एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9 के साथ पढ़ा जाए।

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटर को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित सुरक्षित परिसंपत्तियां, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित हैं, जिसका प्रतीकात्मक कब्जा **05-10-2024** को टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है और ऋण के असाइनमेंट के बाद, 'अलकेमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अलकेमिस्ट XXXIX ट्रस्ट के ट्रस्टी की क्षमता में कार्य कर रही है (इसके बाद 'सुरक्षित लेनदार' के रूप में संदर्भित) सुरक्षित लेनदार बन गई है, इस प्रकार प्रतीकात्मक कब्जा अब सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी के पास है, इसे "जहां है जैसा है, "जो कुछ भी है", और "बिना सहारा के आधार पर" सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी (एओ) द्वारा वेबसाइट https://www.bankeauction.com के माध्यम से **10 07 2025** को ऑनलाइन ई-नीलामी' के माध्यम से बेचा जाएगा। 11:30 पूर्वाह्न से 12:30 अपराह्न तक, प्रत्येक में पाँच (5) मिनट का असीमित स्वत विस्तार, यदि ई-नीलामी बंद होने से पहले बढ़ी हुई बोली लगाई जाती है, तो **48,41,36,376/** (अड़तालीस करोड़ इकतालीस लाख छत्तीस हज़ार तीन सौ छिहत्तर) ऋणदाता, सह ऋणदाता और बंधककर्ता अर्थात मोज़ेक हॉस्पिटैलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, शिप्रा होटल्स लिमिटेड, शिप्रा एस्टेट लिमिटेड (सीआईआरपी के तहत) और गारंटर अर्थात श्री मोहित सिंह (पीआईआरपी के तहत), श्रीमती बिंदु सिंह और श्रीमती जूही मोहित सिंह से 20 05 2025 तक अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो अल्केमिस्ट XXXIX ट्रस्ट (सुरक्षित लेनदार) के ट्रस्टी की हैसियत से काम कर रही है, को बकाया राशि के साथ-साथ एएआरसी को देय ब्याज और शुल्क भी देय है। आरक्षित मूल्य, बयाना राशि जमा (ईएमडी) और सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

उधारकर्ता और बंधककर्ता और गारंटर का विवरण	शिप्रा होटल्स लिमिटेड के स्वामित्व वाली सुरक्षित संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)
1. मोज़ेक हॉस्पिटैलिटीज प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता), फ्लैट नंबर-502, 502-ए, 5वीं मंजिल 23 बाराखंभा रोड, नारायण मंजिल नई दिल्ली 110001. **कॉर्पोरेट कार्यालय पता:** प्लॉट नंबर 9, शिप्रा मॉल वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद 201014 ईमेल: amitwalia@shipraworld.com **2. शिप्रा होटल्स लिमिटेड (सह-उधारकर्ता और बंधककर्ता)**, पंजीकृत कार्यालय शिप्रा होटल्स लिमिटेड, पिक्चर पैलेस, द मॉल रोड, कुलरी मसूरी देहरादून उत्तराखंड- 248179 **3. शिप्रा एस्टेट लिमिटेड (गारंटर और बंधककर्ता)**, अपने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के माध्यम से **पंजीकृत कार्यालय** फ्लैट नंबर 502, 502 ए, 5वीं मंजिल 23 बाराखंभा रोड, नारायण मंजिल नई दिल्ली (कंपनी सीआईआरपी के तहत है, यह सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत अनुपालन के अनुसार रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल को केवल सूचना है) **4. श्री मोहित सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह** अपने रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (निदेशक और गारंटर के साथ-साथ गिरवीकर्ता) के माध्यम से, निवासी केएच-04, कवि नगर, गाजियाबाद-201002 (मोहित सिंह पीआईआरपी के तहत हैं, यह सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत अनुपालन के अनुसार रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल को केवल सूचना है) **5. श्रीमती बिंदु सिंह, पत्नी श्री हरपाल सिंह,** (गारंटर के साथ-साथ गिरवीकर्ता) निवासी केएच-04, कवि नगर, गाजियाबाद- 201002 **6. श्रीमती जूही मोहित सिंह पत्नी श्री मोहित सिंह,** (गारंटर तथा गिरवीकर्ता) निवासी केएच-04, कवि नगर, गाजियाबाद-201002.	फ्रीहोल्ड भूमि के वे सभी टुकड़े और पार्सल, जिन्हें "मोज़ेक होटल" के रूप में जाना जाता है, 2580 वर्ग मीटर में फैली हुई भूमि, जो कुलरी, पिक्चर पैलेस एंड के पास, द मॉल रोड, मसूरी में, उप-पंजीयक आश्वासन मसूरी, पंजीकरण जिला देहरादून के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में साथ ही सभी भवन, संरचनाएं, निर्माण आदि जो वर्तमान में और भविष्य में निर्मित और/या निर्मित किए जाने हैं और जमीन से जुड़े हुए या जमीन से जुड़ी किसी भी चीज से स्थायी रूप से जुड़े हुए प्लांट और मशीनरी, लगाए गए/स्थापित किए गए या लगाए जाने वाले/स्थापित किए जाने वाले फिक्सचर और फिटिंग और उनका प्रत्येक भाग शिप्रा होटल्स लिमिटेड (सह-उधारकर्ता और बंधककर्ता) के स्वामित्व में है।	रू. 3722.00 लाख	रू. 186.10 लाख

1. उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटर सहित सभी इच्छुक पक्षों का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। उधारकर्ता, सह उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटर(रों) को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि वे इस नोटिस को 30 दिन की बिक्री नोटिस के रूप में मानें (नियम 6(2), 8(6) के अनुसार सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ) और उन्हें **10-07-2025** को या उससे पहले अपने मोचन के अधिकार का प्रयोग करने और देयता का पूर्ण रूप से निर्वहन करने का अंतिम और अंतिम अवसर दिया जाता है, ऐसा न करने पर सुरक्षित संपत्ति को इस ई नीलामी बिक्री नोटिस और नीचे दिए गए लिंक में प्रकाशित बोली दस्तावेज़ में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार **10-07-2025** को बेचा जाएगा। इसके द्वारा बेची गई सुरक्षित संपत्ति पर भार के लिए, बोलीदाताओं को बोली दस्तावेज़ देखने की सलाह दी जाती है। यह बिक्री पूर्णतः इस ई-नीलामी बिक्री नोटिस में शामिल नियमों व शर्तों तथा बोली दस्तावेज (नीचे उल्लिखित लिंक में प्रकाशित) के अधीन है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्ति तथा बिक्री के नियमों व शर्तों का विवरण है, जो इस ई-नीलामी बिक्री नोटिस का हिस्सा हैं।
2. बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति शिप्रा होटल्स लिमिटेड की है, जो सह-उधारकर्ता और बंधककर्ता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि शिप्रा एस्टेट्स लिमिटेड (सीआईआरपी के तहत) और श्री मोहित सिंह, पुत्र श्री हरपाल सिंह (पीआईआरपी के तहत) या मोजैक हॉस्पिटैलिटीज प्राइवेट लिमिटेड की कोई भी संपत्ति बिक्री के लिए नहीं रखी जा रही है। उन्हें मोजैक हॉस्पिटैलिटीज प्राइवेट लिमिटेड और शिप्रा होटल्स लिमिटेड द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में उधारकर्ता, गारंटर और बंधककर्ता के रूप में केवल प्रोफार्मा पार्टियों के रूप में उक्त नोटिस में पक्षकार बनाया गया है।
3. कोई व्यक्ति अपनी बोली प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है यदि ऐसा व्यक्ति, या ऐसे व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से या मिलकर कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति दिवाला दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29ए के प्रावधानों के अनुसार अपात्र है और प्रत्येक बोलीदाता को अपने केवाईसी दस्तावेजों के साथ एक नोटरीकृत वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह घोषित और पुष्टि की जाएगी कि बोलीदाता उधारकर्ता/प्रवर्तक/गारंटर/बंधककर्ता (बोली दस्तावेज में दिए गए मसौदे के अनुसार) से संबद्ध पक्ष नहीं है।
4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 1A के अनुसार, यदि बिक्री मूल्य 50,00,000.00/ (केवल पचास लाख रुपये) या उससे अधिक है, तो बिक्री आय पर TDS लागू होगा। सफल बोलीदाता/खरीदार बिक्री मूल्य का 1% की दर लागू TDS काटेगा और इसे शिप्रा होटल्स लिमिटेड (सह-उधारकर्ता) के पक्ष में जमा करेगा, जिसका पैन नंबर - AAGCS8808K है, आयकर विभाग के पास। इसके अलावा, बिक्री मूल्य का केवल 99% सुरक्षित ऋणदाता को भेजा जाना है।
5. यह ई-नीलामी बिक्री नोटिस सरफेसी अधिनियम, 2002, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016, ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 और/या किसी अन्य कानून के तहत सुरक्षित लेनदार को उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है।
6. इच्छुक बोलीदाताओं को **03-06-2025 से 04-07-2025** के बीच कार्य समय के दौरान 1000/ रुपये का भुगतान करके प्राधिकृत अधिकारी से बोली दस्तावेज प्राप्त करना होगा।
7. इच्छुक बोलीदाता विधिवत निष्पादित बोली दस्तावेज को 07-07-2025 को अपराह्न 3:30 बजे तक या उससे पहले जमा करेंगे, साथ में बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/डीडी/पे ऑर्डर के माध्यम से 'एल्केमिस्ट XXXIX एसेट' के पक्ष में नई दिल्ली में देय होगी और "प्राधिकृत अधिकारी, एल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ए-270, प्रथम और द्वितीय तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली 110024" को संबोधित होगी या आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से बैंक खाता संख्या **048111100005288**, लाभार्थी "एल्केमिस्ट XXXIX एसेट", आईएफएससी कोड संख्या UBIN0804819, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आर.के. पुरम शाखा, नई दिल्ली में जमा करेंगे, जिसकी रसीद नीलामी बोली फॉर्म सहित विधिवत भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संलग्न होगी।
8. ई नीलामी के दौरान, पात्र बोलीदाता प्रत्येक बार अपनी बोली को 5,00,000/ रुपये (केवल पाँच लाख रुपये) या इसके गुणकों तक बढ़ा सकते हैं।
9. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया लिंक पर जाएँ लिंक (Link: www.alchemistarc.com और एसेट टैब के अंतर्गत लाइव नीलामी टैब पर क्लिक करें)। किसी भी अतिरिक्त स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, इच्छुक पक्ष एओ से टेलीफोन नंबर -011- 46562580-81-82-83 पर संपर्क कर सकते हैं या yoginder@alchemistarc.com पर ईमेल कर सकते हैं।

स्थान: दिल्ली, दिनांक: 03.06.2025 एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी)